



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना-800 010

दूरभाष नं०-0612-2261250/2262265, फ़ैक्स-0612-2261050

ई-मेल-bspccb@yahoo.com, वेबसाईट-<http://bspccb.bih.nic.in>

पत्रांक:- पी.सी./पी.आर.-105/प्रेस विज्ञप्ति/2021/ 712

दिनांक:- 05.04.2021

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य में स्टोन क्रशर इकाईयों के संचालन से वायु प्रदूषण की संभावना रहती है। इन इकाईयों से वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने हेतु सन् 1981 में संसद द्वारा पारित वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं।

स्टोन क्रशर इकाई के संचालन के दौरान जनित धूलकणों को आस-पास फैलने से रोकने हेतु पूर्व में इकाई के चारो ओर 10 फीट ऊँची दीवार का निर्माण व जल-छिड़काव करने की शर्त पर संचालनार्थ सहमति आदेश (CTO) जारी किया जाता था।

ऐसे उद्योगों से वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने हेतु चाहरदीवारी की ऊँचाई को 10' फीट से बढ़ाकर 20' फीट ऊँचा बनाने का निदेश अधिसूचना संख्या- 05 दिनांक 16.09.2020 द्वारा जारी किया गया था। जिसका अनुपालन स्टोन क्रशर की क्षमता के अनुसार क्रमशः 600 सी.एफ.टी./दिन क्षमता वाले को 31 अक्टूबर, 2020 तक, 600 सी.एफ.टी. से उपर और 2000 सी.एफ.टी./दिन तक क्षमता वाले को 30 नवम्बर, 2020 तक तथा 2000 सी.एफ.टी./ दिन से उपर क्षमता वाले क्रशर इकाई को 31 दिसम्बर, 2020 तक सुनिश्चित किया जाना था।

20 फीट ऊँची चाहरदीवारी निर्माण की शर्त के अनुपालन में आ रही कठिनाईयों के संबंध में स्टोन क्रशर इकाई संचालकों से प्राप्त पत्रों के आलोक में पर्षद् की अधिसूचना संख्या- 09 दिनांक 01.04.2021 द्वारा 20 फीट उँची चाहर दीवारी की जगह 12 फीट उँची दीवार का निर्माण कर इसके साथ ही जल छिड़काव की स्थायी व्यवस्था हेतु चाहरदीवारी के साथ चारो ओर स्थायी पाईप लाईन की व्यवस्था सुनिश्चित कर इकाई के संचालन के समय जल छिड़काव किया जाना बाध्यकारी बनाया गया है।

पुनरीक्षित शर्तों के अनुसार स्टोन क्रशर इकाईयों को पूर्ण रूप से ढकने का निदेश है जबकि पूर्व की शर्तों के अनुसार क्रशर इकाईयों को केवल 'क्रशिंग सेक्शन' को ढकने का प्रावधान था। पूर्व में निदेशित दो कन्वेयर बेल्ट के बीच में Wind Breaking Wall के निर्माण किये जाने की शर्त को विलोपित किया गया है।

(वीरेन्द्र कुमार) 05.04.2021

मीडिया कंसलटेंट।